न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 03 / 2018

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर जरिये जमशेद

.....

अपीलान्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी,नगर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी,नगर दिनांक 8–1–2018 बाबत निलम्बित किये जाने प्राधिकार पत्र

निर्णय **दिनांक 8.3.2018**

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नगर के आदेश दिनांक 8–01–2018 के खिलाफ पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नगर के उक्त निलम्बित आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार हाजिर उपस्थित। इसी दरम्यान एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 रुल10 सीपीसी प्रार्थी जफरु पुत्र ईशाक जाति मेव ग्राम वासडायना की ओर से उनके अभिभाषक धमेन्द्र सिंह के बाबत बनाये जाने पक्षकार मुकदमा पेश किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी जफरु का कहना है कि प्रार्थी की शिकायत पर डीलर के खिलाफ कार्यवाही की गई है प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। उन्होने आगे बताया कि यह अपील जरिये जमशेद की गई है, उनका कहना है कि जमशेद को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, जमशेद व्यवस्थापक नही है। अपील खारिज की जावे।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपीलाधीन आदेश नियमों के विपरीत पारित किया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने इसी पत्रावली में पूर्व में भी अपीलान्ट को निलम्बन किया गया था जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 10358 / 16 दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.9.16 में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल करते हुये जॉच एक माह में पूर्ण करने के आदेश दिये गये थे।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण को मैरिट पर जाकर निस्तारण करना था। तहत न्यायालय ने ऐसा ना कर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 8.1.18 को पुनः निलम्बन कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में प्राधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र कि शर्त संख्या 7,11,14,15 एवं 17सी का उलंघन किया जाना बताया है वह बिना किसी साक्ष्य के अपीलाधीन आदेश अंकित कर दिया गया है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर तहत न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण का मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु रिमान्ड किया जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी नगर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में मैरिट पर जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेना चाहिये था। निलम्बन गलत किया गया है। प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रार्थी जफरु तहत न्यायालय में प्रकरण में पक्षकार नहीं था। अपील निलम्बन आदेश के खिलाफ पेश की गई है जिससे प्रार्थी जफरु किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1रुल10सीपीसी काबिल निरस्ती के रहती है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सहकारी विभाग भरतपुर की निरीक्षक(आडिट) रिपोर्ट वर्ष 2014–16 में जमशेद को महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति खोहरी सहकारी समिति का व्यवस्थापक होना बताया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय ने प्राधिकार पत्र कि शर्त संख्या 7,11,14,15 एवं 17सी का उलंघन पाये जाने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। इसी पत्रावली में पूर्व में भी अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा निलम्बन किया गया था। जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यालय में रिट पिटीशन दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या 10358/2016 निर्णय दिनांक 15.9.16 में निर्णय की प्राप्ती से एक माह में विचाराधीन प्रकरण की जॉच पूर्ण कर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। तहत न्यायालय को चाहिये कि वे विचाराधीन प्रकरण में जॉच पूर्ण कर गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर निर्णय पारित करते। अस्तु अपीलाधीन आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से (सप्लाई) बहाल किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर निर्णय पारित करें। प्रार्थी जफरु पुत्र ईशाक तहत न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी नगर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को सुनाया गया ।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official